Proceeding of Environmental Public Hearing organized by HP State Pollution Control Board Una according to the provisions of EIA Notification No: S.O. 1533 (E) Dated: 14/09/2006 on the proposal submitted by Sh. Jasjit Singh Sidhu & Sh. Manmeet Singh Sidhu, Partners of M/s Himachal Chemicals & Silicate Work-II, VPO Bathu, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ 1,15,100 MT/year at Khasra Numbers 1, 22, 23 & 24 falling in Mauza & Mohal Bathri, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) over an area measuring 24-43-55 Hectares (Private Land, Terrace & River Bed of Hum Khadd), on 25/07/2025 at 02:30 PM at Rajiv Gandhi Common Facility Center, VPO Bathu, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by Sh. Jasjit Singh Sidhu & Sh. Manmeet Singh Sidhu, Partners of M/s Himachal Chemicals & Silicate Work-II, VPO Bathu, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ 1,15,100 MT/year at Khasra Numbers 1, 22, 23 & 24 falling in Mauza & Mohal Bathri, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) over an area measuring 24-43-55 Hectares (Private Land, Terrace & River Bed of Hum Khadd), was organized by HP State Pollution Control Board, Regional Office Una on 25/07/2025 at 02:30 PM at the Rajiv Gandhi Common Facility Center, VPO Bathu, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP). This public Hearing was organized by HP State Pollution Control Board under the Chairmanship of Additional Deputy Commissioner Una cum Chairman of Environmental Public Hearing, according to prescribed process of public Hearing.

In the Public Hearing, SDM Haroli, Mining Officer Una, RTO Una, Officers/Officials of various Departments of local Administration, Representatives of local Gram Panchayats and residents of local & nearby villages were also present. The attendance sheet of participants in the public hearing is enclosed as **Annex-I**.

First of all, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una, welcomed the Chairman, Officers/Officials of various Departments of local Administration, representative of Local Panchayats, Project Proponent & their consultant and the Public. Thereafter he gave detailed information to the people present regarding organization of the Environmental Public Hearing and started the process of Environmental Public Hearing with the permission of ADC Una cum Chairman of the Environment Public Hearing.

Thereafter, the Regional Officer, HPSPCB Una requested the Consultant of the Project Proponent from M/s Chandigarh Pollution Testing Laboratory, Mohali (Punjab) to provide the detailed information of their proposed project for the extraction/collection of sand, stone & bajri to the public. After the detailed description of various aspects of proposed mining lease project given by the consultant to the public, the Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una asked the people present in the Environment Public Hearing to express their views, comments, suggestion and objections on the proposed mining project, without any fear and pressure from any corner.

Videography of the Public hearing was also conducted. Accordingly, the proceeding of the Environmental Public Hearing was recorded and the same is reproduced hereunder:

S. No.	Name and Address	Issues raised/Suggestions submitted	Reply of Issues raised/ Suggestions submitted
1.	Sh. Manjeet Singh,	He stated in reference to the questions	
	Village Gurplah, PO	raised regarding Kailua Road in the	
	Bathu, Tehsil	previous public hearing of another lease	
	Haroli, Distt. Una-	of the proposed mining project	

-

-

	(UD)		
	(HP)	proponent that the said road belongs to	
		Bathri village and not to any other	
		village. He also clarified that the road to	
		Kailua village is about 02 kilometers	
		away from here and there are three	
		schools (Primary, High, and Senior	
		Secondary level) situated in Kailua	
		village.	
		With reference to the complaints raised	
		in the previous public hearing regarding	
		animals falling into pits, he said that	
		people's buffaloes often roam stray and	
		graze on others' land, for which the	
		responsibility should be taken by the	
5.5		cattle owners themselves. He requested	
		the Administration to issue instructions	
		to the people to keep their cattle	
		properly arranged in their homes so that	
		they do not enter others' fields.	
2.	Smt. Surekha Rani,	She said that the suggestions presented	
2.	Pradhan, Gram	by the villagers in the public hearing, if	
	Panchayat Bathu,	implemented by the project proponent,	
	Tehsil Haroli, Distt.	would be highly commendable. He	
	Una (HP)	informed that the stone crusher of the	
		project proponent is about 45-46 years	
		old and many people from the village	
7 2.1		are working in it, which is giving them	
- , ;		good benefits. Many tractors and tippers	
		of the village are also engaged in the	
		crusher. She said that while the	
		establishment of the industry in the	
		village has benefited the people, they	
		have also faced some inconveniences.	
		She also stated that the project	
		proponent provides adequate support to	
		the village. Whatever works are	
		requested by the Panchayat, such as	
		providing bajri at a concessional rate,	
		are fulfilled by them. She requested the	
		project proponent to pay attention to the	
		suggestions put forward by the villagers	
		and take necessary action. She said that	
		some roads in the village get damaged	
		due to the movement of tractors and	
		tippers coming from the crusher, about	
		which the villagers often complain. She	
A STATE OF STREET			

		requested that these roads should be repaired at the earliest. Along with this, she requested the project proponent to cooperate in the development works of the village and requested that the nearby Himachal Government land should be fenced and a playground and park should be constructed there. She informed that there is no other route available to go to Kailua and the only route passes through the crusher. She requested that the said road should be leveled by dumping some soil near the crusher so that the Panchayat can complete this road and the problem of movement for the residents of Kailua can be resolved.	
3.	Sh. Kuldeep Singh, VPO Bathu, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)	He said that the road from Kailua to Bathri has been damaged for many years, due to which children have to take a detour of about 6 kilometers to go to school. He also informed that the water pipeline that was laid has been nonfunctional for the past one year and no one has paid attention to it. He requested the Administration to give proper attention to these issues as well.	
4	Sh. K.K. Rana, Ex- Pradhan, Gram Panchayat Bathu, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)	He stated that he had already presented one objection regarding the proposed mining projects in the previous public hearing. He further said that for a Up-Mohal of their Panchayat, Kailua, the Public Works Department had made a budget provision for the construction of a link road. This link road was to connect Kailua to the Tahliwal-Bathri main road, and its construction work was to start from the lower side towards Kailua. However, due to deep pits formed by excessive mining at the lower end, the construction work of this road was started from the upper side towards the lower side. This road is still incomplete and has not been constructed in the manner it was supposed to be. He requested the Administration that before	

		granting approval to the proposed mining project, special attention should be given to the construction of this road and it should be completed so that the inconvenience being faced by the residents of Kailua and other people in commuting can be resolved. He also said that if the proposed mining project is operated as per rules and in a scientific manner, he has no objection to this project.	
V P T	Sh. Ashwani Kumar, Vice Pradhan, Gram Panchayat Bathu, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)	He said that about a year ago, the project proponent had assured the construction of a park on the land adjoining the community center, but it has not been constructed till now. He again requested that the said park be constructed at the earliest.	The ADC directed the project proponent to start the construction work of the park immediately. The proponent, agreeing to comply with his directions, said that the construction of the park will be started soon.

During the proceedings of the public hearing and even after the programme, no written suggestion, idea, comment or objection was received.

As per the opinion of the local public, present in the Env. Public Hearing Programme, maximum people are in favour of the proposed mining project.

In the end, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board, Una thanked the Chairman and all other participants for participating in this environmental public hearing.

Mahendra Pal Gurjar Additional Deputy Commissioner Una, Distt. Una (HP) श्री जसजीत सिंह सिद्धू एवं श्री मनमीत सिंह सिद्धू, पार्टनर्स, मैसर्ज हिमाचल केमिकल्स एंड सिलिकेट वर्क्स—II, गांव व डाकघर बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), के द्वारा खसरा संख्या 1, 22, 23 एवं 24, मौजा व मोहाल बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 24—43—55 हैक्टेयर (निजी भूमि, हुम्म खड़ का टैरेस व नदी तल) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 1,15,100 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरणीय जन सुनवाई की कार्यावाही का विवरण।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आज दिनांक 25.07.2025 को दोपहर 02:30 बजे, श्री जसजीत सिंह सिद्धू एवं श्री मनमीत सिंह सिद्धू, पार्टनर्स, मैसर्ज हिमाचल केमिकल्स एंड सिलिकेट वर्क्स—II, गांव व डाकघर बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), के द्वारा खसरा संख्या 1, 22, 23 एवं 24, मौजा व मोहाल बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 24—43—55 हैक्टेयर (निजी भूमि, हुम्म खडु का टैरेस व नदी तल) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 1,15,100 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर राजीव गांधी कॉमन फैसिलिटी सेंटर, गांव एवं डाकघर बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) में पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या एस ओ — 1533 (अ) दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अर्न्तगत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माननीय अतिरिक्त उपायुक्त ऊना एवं अध्यक्ष पर्यावरण जन सुनवाई की अध्यक्षता में करवाया गया।

इस पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौरान, ए.स.डी.एम. हरोली, खनन अधिकारी ऊना, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ऊना, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, स्थानीय ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और स्थानीय व निकटवर्ती गांवों के निवासी उपस्थित थे। जनसुनवाई की उपस्थिति शीट संलग्नक—1 के रूप में संलग्न की गई है।

सर्वप्रथम, श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों, प्रस्तावित इकाई के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और उपस्थित जनता का अभिनन्दन किया। उन्होंने पर्यावरणीय जनसुनवाई के आयोजन के संबंध में जनसमूह को एक विस्तृत जानकारी दी और तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से जन सुनवाई की कार्यावाही आरम्भ की।

तत्पश्चात, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक के परामर्शदाता (मैसर्ज चंडीगढ़ पोल्यूशन टेस्टिंग लेबोरेटरी, मोहाली (पंजाब) को प्रस्तावित खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी जनसमूह को देने का निवेदन किया। इसके उपरान्त प्रस्तावित खनन परियोजना के परामर्शदाता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी उपस्थित जनसमूह को दी गई। इस विस्तृत जानकारी के उपरान्त सहायक पर्यावरण अभियंता ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनें सुझाव, विचार, टिप्पणियां एवं आपत्तियों को बिना किसी दबाव व भय के पूछने को कहा।

इस पर्यावरण जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। इस पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:

क्रमांक	नाम व पता	मामले / सुझाव	उत्तर
1.	श्री मंजीत सिंह, गांव	उन्होंने प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक की एक	
	गुरपलाह, डाकघर	अन्य लीज की पिछली जनसुनवाई में उठे कैलुआ रोड	
	बाथू, तहसील	संबंधी प्रश्नों के संदर्भ में बताया कि उक्त सड़क बाथड़ी	
	हरोली, जिला ऊना	गांव की है और किसी अन्य गांव की नहीं है। उन्होंने यह	
	(हि.प्र.)	भी स्पष्ट किया कि कैलुआ गांव का मार्ग यहां से लगभग	
		02 किलोमीटर दूर है तथा वहां कैलुआ गांव के तीन	
		विद्यालय (प्राथमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर)	
		स्थित हैं। प्रशुओं के गड्ढों में गिरने संबंधी पिछली	
		जनसुनवाई में उठाई गई शिकायतों के संदर्भ में उन्होंने	
		कहा कि लोगों की भैंसें अक्सर अवारा घूमती हैं और	
		दूसरों की जमीनों पर चारा चरती हैं, जिसकी जिम्मेदारी	
		पशुपालकों को स्वयं लेनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से	
		अनुरोध किया कि लोगों को यह निर्देश दिए जाएं कि वे	

Γ			अपने पशुओं को घरों में व्यवस्थित रूप से रखें, ताकि वे	
			दूसरों के खेतों में प्रवेश न कर सकें।	
-	_	-00	CC .	परियोजना प्रस्तावक के परामर्शदाता
	2.	श्रीमती सुरेखा रानी,	उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में जो भी सुझाव ग्रामीणों	
		प्रधान, ग्राम पंचायत	द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, यदि उन पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा अमल किया जाता है तो यह अत्यंत	ने उत्तर देते हुए कहा कि आपके
		बाथू, तहसील	सराहनीय होगा। उन्होंने बताया कि परियोजना प्रस्तावक	सुझाव संज्ञान में ले लिए गए हैं और
		हरोली, जिला ऊना		आपकी यह मांग कि बजरी एवं अन्य
		(हि.प्र.)	का स्टोन क्रशर लगभग 45—46 वर्ष पुराना है और इसमें गांव के कई लोग कार्यरत हैं, जिससे उन्हें अच्छा लाभ	सामग्री रियायती दर पर उपलब्ध
			प्राप्त हो रहा है। गांव के कई ट्रैक्टर एवं टिप्पर भी क्रशर	कराई जाए, पर सहमति व्यक्त करते
			में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि गांव में उद्योग आने से	हुए यह आश्वासन दिया जाता है कि
			जहां एक ओर लोगों को लाभ हुआ है, वहीं कुछ	उक्त सामग्री आपको रियायती दर पर
			अस्विधाएं भी झेलनी पड़ी हैं।	
			उन्होंने यह भी बताया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा गांव	ही प्रदान की जाएगी।
			को पर्याप्त सहयोग प्रदान किया जाता है। पंचायत द्वारा	
			जो भी कार्य, जैसे रियायती दर पर बजरी उपलब्ध कराना	
			आदि, उनसे कहे जाते हैं, वे पूरे किए जाते हैं। उन्होंने	
			परियोजना प्रस्तावक से निवेदन किया कि ग्रामीणों द्वारा	
			रखे गए सुझावों पर ध्यान दें और आवश्यक कार्यवाही	
			करें। उन्होंने कहा कि गांव की कुछ सड़कें क्रशर से	
			निकलने वाले ट्रैक्टरों एवं टिप्परों के आवागमन के कारण	
			क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसकी शिकायतें गांववासी अक्सर	
			करते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि इन सड़कों की शीघ	
			मरम्मत करवाई जाए। साथ ही, उन्होंने परियोजना	
			प्रस्तावक को गांव के विकास कार्यों में सहयोग करने का	
			अनुरोध किया और आग्रह किया कि समीप स्थित हिमाचल	
			सरकार की भूमि की चारदीवारी करवाई जाए तथा वहां	
			एक खेल मैदान और पार्क का निर्माण कराया जाए।	
			उन्होंने बताया कि कैलुआ जाने के लिए दूसरी ओर से	
			कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है और एकमात्र मार्ग क्रशर से	
			होकर गुजरता है। उन्होंने आग्रह किया कि क्रशर के पास	
			कुछ मिट्टी डलवाकर उक्त मार्ग को समतल किया जाए,	
			जिससे पंचायत इस मार्ग को पूर्ण करवा सके और कैलुआ	
			वासियों की आवागमन संबंधी समस्या समाप्त हो सके।	
	3.	श्री कुलदीप सिंह,	उन्होंने कहा कि कैलुआ से बथड़ी जाने वाला मार्ग कई	
		गांव व डाकघर बाथू,	वर्षों से क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण बच्चों को विद्यालय	
		तहसील हरोली,	आने-जाने के लिए लगभग 6 किलोमीटर घूम कर आना	
		जिला ऊना (हि.प्र.)	पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि जो पानी की लाइन	
			बिछाई गई थी, वह पिछले एक वर्ष से बंद पड़ी है और	
:			इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने प्रशासन से	
			आग्रह किया कि इन विषयों पर भी समुचित ध्यान दिया	
			जाए।	
	4.	श्री के.के. राणा, पूर्व	उन्होंने बताया कि प्रस्तावित खनन परियोजनाओं के संबंध	
		प्रधान, ग्राम पंचायत	में वे अपनी एक आपत्ति पिछली जनसुनवाई में प्रस्तुत कर	
		बाधू तहसील	चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पंचायत के एक	
		हरोली, जिला ऊना	उप-मोहल कैलुआ के लिए लोक निर्माण विभाग ने एक	
		(हि.प्र.)	लिंक रोड बनाने का बजट प्रावधान किया हुआ है। यह	
			लिंक रोड कैलुआ से टाहलीवाल—बथड़ी मुख्य सड़क से जुड़ना था और इसका निर्माण कार्य नीचे से ऊपर कैलुआ	
			की ओर आरंभ किया जाना था। किंतु, नीचे अत्यधिक	
			खनन से बने गहरे गड्ढों के कारण इस सड़क का निर्माण	
			कार्य ऊपर से नीचे की ओर शुरू किया गया है। यह	
			सड़क आज भी अधूरी है और जिस रूप में इसका निर्माण	
			होना था, उस रूप में नहीं हो पाया है। उन्होंने प्रशासन	
1				

	से अनुरोध किया कि प्रस्तावित खनन परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व इस सड़क के निर्माण कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसे पूर्ण किया जाए, जिससे कैलुआ के निवासियों एवं अन्य लोगों को आने—जाने में हो रही असुविधा दूर हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रस्तावित खनन परियोजना नियमानुसार एवं वैज्ञानिक तरीके से संचालित की जाती है, तो उन्हें इस परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।	
5.	उन्होनें कहा कि लगभग एक वर्ष पूर्व परियोजना प्रस्तावक ने समुदाय केंद्र के साथ लगती भूमि पर पार्क का निर्माण कराने की बात कही थी, किंतु अब तक उसका निर्माण नहीं हो पाया है। उन्होंने पुनः आग्रह किया कि उक्त पार्क का निर्माण शीघ्र करवाया जाए	प्रस्तावक को निर्देश दिया कि पार्क का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ किया

जनसुनवाई की कार्यावाही के दौरान एवं कार्यक्रम के बाद भी लिखित में कोई भी सुझाव, विचार, टिप्पणी या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

पर्यावरणीय जनसुनवाई कार्यक्रम मे उपस्थित स्थानीय जनता की राय के अनुसार अधिकतम लोग प्रस्तावित खनन परियोजना की स्थापना के पक्ष में हैं।

अंतः में श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना ने अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी प्रतिभागियों का इस पर्यावरण जन सुनवाई में भाग लेने का धन्यवाद किया।

> म्हेन्द्र पाल गुर्जर अतिरिक्त उपायुक्त ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.)